फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि॰ बनाम मुकेश कुमार सैनी व अन्य

प्रकरण संख्या 429/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.06.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी बैंक की ओर से 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत टाईटल डीड में बंधक सम्पत्ति कृषि भूमि अंकित है। भूमि कृषि से अकृषि संपरिवर्तन संबंधित कोई आदेश पेश नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 31 (i) के तहत कृषि भूमि पर सरफेशी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत सरफेशी एक्ट की धारा 14 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था भूमि संपरिवर्तित दस्तावेज के साथ धारा 14 का प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत किये जाने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (राजन विशाल) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	